इकाई 12 मुगल संप्रभुता की संकल्पना

इकाई की रूपरेखा

12.0 उद्देश्य

इस इकाई में मुगलों के संप्रभुता के सिद्धांत के विकास और प्रकृति पर विचार-विमर्श किया गया है। कोई भी राज्य व्यवस्था या संगठन विभिन्न कारकों से प्रभावित हुए बिना विकसित नहीं हो सकती। इस इकाई को पढ़ते समय आप भारत में मुगल संप्रभुता के विभिन्न पक्षों और उस पर पड़ने वाले विभिन्न प्रभावों को जान सकेंगे। इस इकाई को पढ़ने के बाद आप:

- निर्माणकारी कारकों और ईरानी तथा तुर्क-मंगोल परंपरा के प्रभाव को रेखांकित कर सकेंगे,
- मुगलों के पूर्वज राज्य में राजनैतिक ढांचे की प्रकृति और संप्रभुता की अवधारणा पर प्रकाश डाल सकेंगे, और
- मुगलों के राजत्व संबंधी राजा की दैवीय शक्ति के सिद्धांत की अवधारणा और तुर्क-मंगोल प्रशासन संबंधी परम्पराओं का वर्णन कर सकेंगे।

12.1 प्रस्तावना

भारतीय राजनैतिक धारणा के साथ-साथ ईरानी और तुर्क-मंगोल परंपरा में भी समाज में व्यवस्था और स्थिरता कायम करने और अव्यवस्था तथा अराजकता को समाप्त करने के लिए संप्रभुता की अवधारणा को विशेष महत्व दिया गया। राजतंत्र को मध्ययुगीन राज्य व्यवस्था का आधार तत्व समझा गया। अबुल फजल के अनुसार, "अगर राजतंत्र न रहा तो कलह की आंधी कभी दब नहीं पाएगी, न ही स्वार्थपूर्ण महत्वाकांक्षा समाप्त हो पाएगी। लालसा और अव्यवस्था के भार से दबा मनुष्य विध्वंस की खाई में गिरता चला जाएगा..." किसी साम्राज्य के प्रशासनिक ढांचे का आकार-प्रकार और राज्य की प्रकृति मुख्य रूप से संप्रभुता के सिद्धांत और राजा की अपनी नीतियों द्वारा निर्धारित होती है। इसलिए मुगल राज्य व्यवस्था को सही ढंग से समझने के लिए मध्य एशिया के राज्य संबंधी सिद्धांत और इसके विभिन्न पक्षों को जानना अनिवार्य है।

12.2 पृष्ठभूमि

भारत के मुगल सम्राट शासन की कला से अनभिज्ञ नहीं थे। उनके पास मध्य एशिया में लगभग दो शताब्दियों के राजवंशीय शासन का अनुभव था। वे अपने साथ अच्छी तरह जांचा परखा और नियमित प्रशासन का सिद्धांत लेकर आये थे। नयी जगह की आवश्यकताओं के अनुरूप इन्होंने इसमें परिवर्तन भी किया और आस-पास की परंपराओं को आत्मसात कर लिया। इस प्रकार भारत में मुगलों का आम प्रशासनिक ढांचा और नीतियां भारतीय-इस्लामी परंपराओं का मिला-जुला रूप प्रतीत होती है। प्रथाओं, संस्थाओं, भाषा और पदों के रूप में समृद्ध मध्य एशियाई विरासत और तुर्क-मंगोल परंपरा भी जगह-जगह पर अभिव्यक्त होती थी। भारत में मुगल ढांचे में अक्सर चंगेज और तैमूरी राज्य व्यवस्था के अवशेष देखने को मिल जाते हैं।

हालांकि बाबर तुर्क-मंगोल था परन्तु वह अपने को तुर्क कहने में गौरव महसूस करता था। बाबर अपनी मां के रिश्ते से चंगेज से और पिता के संबंध से तैमूर से जुड़ा हुआ था। बाबर ने मंगोलों के खिलाफ कभी-कभी अपना आक्रोश भी व्यक्त किया, इसके बावजूद उसने चंगेज खां और उसके परिवार का मान बनाए रखा। अपने ''पूर्वजों''के प्रति अकबर का दृष्टिकोण सही-सही अबुल फजल की टिप्पणी से झलकता है, जिसमें उसने चंगेज को एक ''महान् व्यक्ति'' कहा है। वस्तुतः इस प्रकार मंगोलों को गौरवान्वित कर और प्रतिष्ठा प्रदान कर भारत में मुगल अपने राजवंश का ही सम्मान बढ़ा रहे थे। मुगलों का चंगेज खां और तैमूर के साथ अपने रक्त संबंधों का हवाला देना तर्कसंगत और युक्तिसंगत लगता है। वंशानुक्रम संबंधों के सिद्धांत को नजरअंदाज कर तथा इस बात की परवाह किए बिना कि चंगेज के साथ उनका (मुगलों का) संबंध उस वंश की महिलाओं के माध्यम से था भारत में बाबर के राजवंश को ''चगताई'', ''मुगल'' और ''कारवानाह'' जैसे विभिन्न नामों से पुकारा जाता है, इस संबंध की महत्ता को केवल पूर्णतः महसूस ही नहीं किया गया बल्कि मुगल शासकों और उनके दरबारी इतिहासकारों और लेखकों द्वारा लिखे गये जीवन चरितों, ऐतिहासिक अभिलेखों, राजकीय पत्रों और अन्य दस्तावेजों में भी समान रूप से इसका उपयोग किया गया और इस पर बल दिया गया। उनका चंगेज और तैमूर के पारिवारिक संबंधों पर इतना जोर देना वस्तुतः मुगल शासकों की इस व्यग्रता का द्योतक है कि वे कैसे चंगेजी शासकीय परिवार से वास्तविक अथवा काल्पनिक वंशावली के आधार पर अपनी समता तथा निकट संबंध स्थापित करें। भारत जैसे नवीन और कुछ हद तक पृथक क्षेत्र पर राज्य करते हुए भी उन्होंने काफी हद तक अपनी समृद्ध परंपरा को बचाकर रखा। नई राजनैतिक व्यवस्था में बहुत सी प्रथाओं और संस्थाओं के नाम समान थे परन्तु उनके व्यावहारिक अर्थ में अंतर था। अपनी आवश्यकताओं और आस-पास के माहौल को ध्यान में रखकर अपनाई गई एशियाई शब्दावलियों और संस्थाओं का विशद् प्रयोग स्पष्ट दिखाई देता है।

12.3 मध्य एशियाई राज्य व्यवस्था की प्रकृति : तुर्क-मंगोल प्रभाव

जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं मुगलों ने कई रूपों में तुर्की और मंगोल अवशेषों से युक्त मध्य एशियाई राज्य व्यवस्था को अपनाया। परंतु तुर्की और मंगोल प्रभाव की व्यापकता को लेकर विवाद है। कुछ विद्वानों का मानना है कि मंगोल प्रभाव अधिक व्यापक था जबकि अन्य विद्वानों का मानना है कि तुर्की प्रभाव इतना मजबूत था कि वस्तुतः मंगोल व्यवस्था तुर्क-मंगोल व्यवस्था में परिवर्तित हो गयी।

चंगेज खां जब मध्य एशिया क्षेत्र में आया था तो कुछ बड़े मंगोल अधिकारियों को छोड़कर उसकी सेना में अधिकांश तुर्क थे। बहुत से स्रोतों से इस बात की पुष्टि की जाती है कि मुगलों के रीति-रिवाजों, प्रथाओं आदि में काफी हद तक चंगेज खां की नकल की जाती थी। तैमूर का साम्राज्य भी ''तुर्क-मंगोल राजनैतिक और सैन्य व्यवस्था का अद्भुत मिला-जुला रूप था। तैमूर का जिस बरलास कबीले में जन्म हुआ था वह वस्तुतः तुर्क-मंगोल कबीला ही था।

12.3.1 तुरा का प्रभाव

मध्य एशियाई प्रशासन पर तुर्की प्रभावों के अतिरिक्त तुरा का भी काफी प्रभाव था।

शासन संभालने के बाद चंगेज ने जो कानून बनाए उसे **तुरा** के नाम से जाना जाता है। इसके लिए **यासा, यूसून, यसाक** जैसे नाम भी प्रयुक्त किये जाते हैं। **तुरा** में किसी प्रकार के धार्मिक तत्व नहीं थे और मुख्य रूप से इसका संबंध राजनैतिक सिद्धांतों, सरकार के संगठन और नागरिक तथा सैनिक प्रशासन से था। **तुरा** एक अपरिवर्तनीय संहिता मानी जाती है। अकबर मध्य एशियाई संबंधों और परंपराओं पर गर्व करता था। अतः अकबर के शासनकाल की राज्य व्यवस्थाओं और प्रशासन में मध्य एशियाई और भारतीय परंपराओं के साथ-साथ ईरानी-इस्लामी सिद्धांतों की भी झलक दिखलाई पड़ती है। जहांगीर की आत्मकथा में **तुरा** की चर्चा हुई है और उसके कार्यों में भी इसकी झलक मिलती है। हालांकि शाहजहां के शासनकाल में **तुरा** का प्रभाव धूमिल पड़ता गया और अंततः औरंगजेब के शासनकाल के ''धार्मिक पुनरूत्थान'' के युग में इसका अंत हो गया। इसके बावजूद भारतीय परिप्रेक्ष्य में **तुरा** के सिद्धांतों और चगताई परंपराओं की उपयोगिता सीमित थी। मुगल स्रोतों के सर्वेक्षण से यह पता चलता है कि मुगल शासकों ने राजनैतिक आवश्यकताओं से प्रेरित होकर **तुरा** को इतना महत्व दिया था। वे भारत पर आक्रमण करने वाले दो भूतपूर्व आक्रमणकारियों चंगेज और तैमूर से अपना संबंध सिद्ध करना चाहते थे। परन्तु यह ध्यान देने की बात है कि मुगलों ने समारोहों और शिष्टाचारों से संबद्ध कानूनों तक ही **तुरा** और उसकी परंपराओं को सीमित रखा। आरंभिक मुगल स्रोतों में तो कहीं-कहीं ''चगताई परंपराओं'' का जिक्र आता है परन्तु बाद के काल में यह गायब है।

12.3.2 संप्रभुत्ता संबंधी तुर्क-मंगोल अवधारणा

हालांकि यह कहा जाता है कि चंगेज ने अपनी संप्रभुता का दैवीय सिद्धांत उइघलूरों से प्राप्त किया था, मंगोल स्वयं **खान** की असीम सत्ता में विश्वास रखते थे। एक मंगोल खान के कथन से यह बात और भी स्पष्ट हो जाती है। वह कहता है: ''आकाश में केवल एक सूर्य या एक चांद रह सकते हैं, फिर पृथ्वी पर दो स्वामी कैसे हो सकते हैं।'' फिर भी संप्रभुता संबंधी मंगोल अवधारणा के प्रधान सिद्धांत के अनुसार साम्राज्य का विभाजन राजा के लड़कों के बीच होता था। प्रशासन को पूरी कड़ाई से चलाने और राजकुमारों की शासन चलाने की इच्छा को संतुष्ट करने के लिए ऐसा किया जाता था। परन्तु तैमूर ने असीम संप्रभुता की अवधारणा का अनुसरण किया। उसके अनुसार ''विश्व के इन विस्तृत भूभागों पर दो राजाओं के लिए जगह नहीं हैं, ईश्वर एक है, अतः पृथ्वी पर ईश्वर का उपशासक भी एक ही होना चाहिए''। बाबर भी इसकी पुष्टि करता है: ''शासन में साझेदारी जैसी बात कभी सुनी नहीं गयी''।

इन दावों के बावजूद तैमूर के असीम राजतंत्र की परंपरा को लेकर इतिहासकारों के बीच एक विवाद पैदा हो गया। तैमूर ने चंगेज खां के एक पूर्वज की नाममात्र की सत्ता स्वीकार कर रखी था। तैमूर ने अपने लिए कभी भी **अमीर** से बड़ी पदवी का उपयोग नहीं किया। हालांकि तैमूर के उत्तराधिकारी शाहरूख ने **पादशाह** और **सुल्तान-उल आजम** की पदवी ग्रहण की परन्तु **खान** की नाममात्र की प्रभुसत्ता अबु सईद मिर्जा के काल तक स्वीकार की जाती रही। वस्तुतः कठपुतली या नाममात्र के **खानों** के अस्तित्व का बने रहना तैमूर की राजनैतिक आवश्यकता थी। तैमूर चंगेज खां के राजकीय परिवार से संबद्ध नहीं था और ऐसी स्थिति में चंगेज के कबीले का ही कोई व्यक्ति **खान** की पदवी प्राप्त कर सकता था। अगर तैमूर ऐसा करता तो उसे मंगोलों की चुनौती का सामना करना पड़ता।

इन **खानों** को किसी एक खास जगह तक सीमित रखा जाता था और उन्हें केवल **मंशूर** (आदेश) जारी करने का एकमात्र राजकीय विशेषाधिकार प्राप्त था। तैमूर के कुछ सिक्कों पर भी इन ''बंदियों'' का नाम अंकित है। इसके बावजूद तैमूर ने **खान** पर अपनी सर्वोच्चता बनाये रखी। आवश्यक शक्ति और चंगताई सरदारों का सहयोग प्राप्त होते ही उसने 1370 ई. में **साहिब-ए किरान** (ऐसा शासक जिसने 40 साल तक राज्य किया हो) **की पदवी ग्रहण कर ली। राज्यारोहण समारोह शाही शान-शौकत के साथ केवल तैमूर के** लिए किया जाता था। औपचारिक सभाओं और सेना की उपस्थिति में तैमूर कभी भी **खान** को सम्मान नहीं दिया करता था। राजा को दिया जाने वाला सम्मान तैमूर हमेशा स्वयं ग्रहण करता था। वह असीम सत्ता में दृढ़ता से विश्वास रखता था, अतः उसने कभी भी सलाहकार परिषद् (**कुरूलताई**) को हद से ज्यादा महत्व नहीं दिया। इसके अलावा वह अपने को सांसारिक के साथ-साथ आध्यात्मिक प्रमुख मानता था। उसने संप्रभुता के सिद्धांत को एक तार्किक परिणति प्रदान की। उसने घोषणा की कि ''उसे सर्वशक्तिमान ईश्वर से सीधा संदेश प्राप्त हुआ है'' अतः उसके कार्यों को दैवीय अनुमति प्राप्त है। अतः **खान** को कठपुतली शासक के रूप में गद्दी पर बैठाना तैमूर और उसके उत्तराधिकारियों द्वारा खेला गया राजनैतिक खेल था। इसके द्वारा उन्होंने मंगोल सेनाओं का समर्थन प्राप्त किया। साथ

ही मंगोलों से छीने गए क्षेत्र और उनकी राज-शक्ति पर अपनी सत्ता की वैधता स्थापित करने के लिए भी इस नीति का उपयोग किया गया। 1402 ई. में महमूद की मृत्यु के बाद तैमूर ने किसी अन्य **खान** को नियुक्त नहीं किया।

बोध प्रश्न 1

1. सही कथनों पर चिह्न (√) लगाइए।
   i) बाबर अपने पिता की ओर से चंगेज से और मां की ओर से तैमूर से संबंधित था।
   ii) मुगलों के राज्य संबंधी सिद्धांत पर संप्रभुता संबंधी तुर्क-मंगोल अवधारणाओं का महत्वपूर्ण प्रभाव था।
   iii) मुगलों ने भारत में तैमूर की विरासत पर वैध दावा किया।
   iv) अबुल फजल ने टिप्पणी की है कि यदि राजत्व समाप्त होता है, तो स्वार्थपूर्ण आकांक्षाएं लुप्त हो जाएंगी।

2. **तुरा** पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।

....

....

....

....

....

3. संप्रभुता की तुर्क-मंगोल अवधारणा पर विचार-विमर्श कीजिए।

....

....

....

....

....

12.3.3 राजनैतिक ढांचे की प्रकृति

क्या मध्य एशिया के तैमूरी शासकों का राजनैतिक ढांचा अधिक से अधिक केन्द्रीकरण की ओर प्रवृत्त था? कुछ विद्वान केन्द्रीकरण की इस प्रवृत्ति को स्वीकार करते हैं। परन्तु कुछ इस विचार से सहमत नहीं हैं। इनका मानना है कि मंगोल राज्य व्यवस्था में कबीलाई प्रवृत्ति के कारण इसमें तुर्की राजतंत्र की तरह की सत्ता के पनपने की गुंजाइश कम थी। चंगेज खां का साम्राज्य एक शासक का नहीं बल्कि एक राजकीय परिवार का प्रतिनिधित्व करता था। लेकिन दूसरे मत के विद्वानों का मानना है कि तैमूरी राज्य के पतन और बिखराव के बावजूद निरंकुश और असीमित राजतंत्र की परंपराएं कायम रहीं। अतः यह निष्कर्ष स्थापित करना युक्तिसंगत लगता है कि छोटे-मोटे अपवादों के बावजूद तैमूरी राज्य व्यवस्था में निरंकुश सत्ता की प्रधानता रही।

12.3.4 उत्तराधिकार का नियम

हालांकि चंगेज खां ने अपना उत्तराधिकारी स्वयं नियुक्त किया था, परन्तु उसने इस बात पर बल दिया था कि सम्राट के पुत्रों और पौत्रों में से कोई भी योग्यतम व्यक्ति इस पद का हकदार हो सकता है। योग्यता के आधार पर **खान** द्वारा मनोनीत करने की यह प्रथा तैमूर के काल तक चलती रही। **खान** द्वारा किए गए मनोनयन को हमेशा स्वीकार नहीं किया जाता था, बल्कि नया शासक भी अपनी योग्यता से ही अपने उत्तराधिकार को स्थापित करता था। उत्तराधिकार में योग्यता को विशेष महत्व दिए जाने के कारण कई उद्यमी और सक्रिय राजकुमारों के अन्दर सिंहासन पाने की इच्छा बलवती हो जाती थी। परिणामतः मध्य एशिया और मुगलकालीन भारत में गृह युद्ध, विद्रोह और संबंधियों की हत्या आम बात हो गयी थी। प्राचीन तुर्क-मंगोल परंपरा के अनुरूप सिंहासन केवल राजा के पुत्रों के लिए सुरक्षित नहीं रह गया था। पुत्रों के अतिरिक्त राजा (**खान**) के पोतों और चाचाओं

तक के इस पद के दावेदार हो जाने से आकांक्षी उम्मीदवारों का क्षेत्र काफी विस्तृत हो गया था। उत्तराधिकार का फैसला कभी तो योग्यता के आधार पर और कभी प्रमुख लोगों के समर्थन से हो जाता था। सभी तीनों स्थितियों (मनोनयन, षड्यंत्र और चयन) में उत्तराधिकार के फैसले को **कुरुलताई** (राजकुमारों और सामंतों की परिषद) से औपचारिक रूप से स्वीकृत कराना पड़ता था। वस्तुतः यह सभी कुलीनों द्वारा अधीनता स्वीकार किए जाने की प्रतीकात्मक स्वीकृति थी।

12.3.5 केन्द्र-राज्य संबंध

समस्त प्रशासनिक शक्ति का केन्द्र राजा था। पूरे साम्राज्य में राजा के नाम से **खुतबा** पढ़ा जाता था और सिक्के ढाले जाते थे। प्रांतीय शासकों की नियुक्ति राजा करता था। उन्हें राजा के बनाये नियम और कानून के अनुसार कार्य करना पड़ता था। उनका अपने पद पर बने रहना राजा की इच्छा पर निर्भर करता था। प्रांतीय प्रशासन तंत्र और भू-अनुदानों से प्राप्त धन राजकीय परिवार के सदस्यों की आय का साधन था। सम्राट के पास साम्राज्य की अंतिम और सर्वोच्च शक्ति थी। प्रांतीय प्रशासकों को राजा के हिस्से के राजस्व को वसूलने का अधिकार प्राप्त नहीं था। राजस्व वसूली और अन्य प्रशासनिक कार्यों को पूरा करने के लिए प्रत्येक **खानेत** के **खान** द्वारा विशेष अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। अगर कोई प्रांतीय शासक (सुल्तान) **खान** के आदेशों का पालन करने या सैनिक या वित्तीय सहायता देने में कभी भी चूक जाता था तो उसे इसके भयंकर परिणाम भुगतने पड़ते थे। हालांकि प्रांतीय राज्यों को बाह्य शक्तियों से कूटनीतिक संबंध स्थापित करने की छूट थी, परन्तु युद्ध की घोषणा और संधि पत्र पर हस्ताक्षर करने जैसे महत्वपूर्ण निर्णय राजा स्वयं लेता था। सम्राट को अंतः राज्यीय झगड़ों में हस्तक्षेप करने का अधिकार था और वह अवज्ञा करने वाले सुल्तान का स्थानान्तरण कर सकता था अथवा उसे हटा भी सकता था।

अतः ऐसा प्रतीत होता है कि साम्राज्य का विभाजन दो कारणों से जरूरी था। एक तरफ तो इससे बड़े साम्राज्य के प्रशासन में सुविधा होती थी और दूसरी तरफ राजकुमारों को शासन की बागडोर देकर संतुष्ट भी किया जाता था। परंतु इससे ऐसा नहीं समझना चाहिए कि चंगेजी या तैमूरी साम्राज्य में सम्राट का पद बहुत से समान स्तरीय सुल्तानों में से किसी एक के समकक्ष था।

12.3.6 कुलीन वर्ग

कुलीन वर्ग का निर्माण सम्राट स्वयं करता था और उन्हें राजा की शक्ति का प्रमुख स्रोत माना जाता था। नये **खान** के सिंहासन पर बैठने के समय कुलीन वर्ग को राजा के प्रति निष्ठावान और आज्ञाकारी होने की शपथ लेनी पड़ती थी। परवर्ती शासकों (मध्य एशिया में तैमूर शासन के अंतिम दशकों में) के शासनकाल में अनेक सामन्त चरित्रहीन और भ्रष्ट थे। इससे तैमूरी कुलीन वर्ग का एक निषेधात्मक चारित्रिक पक्ष सामने आता है। परन्तु इससे यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि व्यवस्था के अंदर ही कुछ कमी थी जिससे कुलीनों में इस प्रकार का भाव पैदा होता था और वे केन्द्रीय सत्ता को चुनौती देते रहते थे। तुर्क-मंगोल राजनैतिक ढांचा इस प्रकार बनाया गया था कि अपने विशेषाधिकारों के बावजूद कुलीन **खान** के आज्ञाकारी अधीनस्थ बने रहे। फिर भी कुछ विद्वानों का मत है कि कुलीन वर्ग के एक बड़े हिस्से के पास पैतृक विशेषाधिकार रहने से मंगोल साम्राज्य में निरंकुश सत्ता के विकास में बाधा पहुंची। हालांकि इस तथ्य से इन्कार नहीं किया जा सकता है कि समय-समय पर ट्रांसऑक्सियाना के शासकों ने अपने चहेते अमीरों को विशेष दर्जा प्रदान किया और कुछ मामलों में ये विशेषाधिकार आनुवंशिक भी थे, परन्तु दूसरी तरफ यह भी सत्य है कि ये विशेषाधिकार शासक की इच्छा पर निर्भर थे। अवज्ञा या अवमानना की स्थिति में ये विशेषाधिकार कभी भी वापस लिए जा सकते थे। प्रत्येक नया राजा अपने पूर्ववर्ती राजा द्वारा दिए गए विशेषाधिकार को आगे जारी भी रख सकता था अथवा उसे वापस भी ले सकता था। चंगेज खां ने अपनी संहिता की एक धारा में लिखा है कि विशेष दर्जा प्राप्त कुलीनों के नौ अपराध माफ किए जा सकते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि कुलीनों पर भी राजा अपनी असीम सत्ता का उपयोग करता था। कई ऐसे उदाहरण है जिसमें ऊंचे पद वाले और वंशानुगत विशेषाधिकार प्राप्त कुलीनों को पद से हटाया गया, फांसी दी गयी, दंडित किया गया या देश निकाला दिया गया था।

बोध प्रश्न 2

1. मध्य एशिया में केन्द्र-राज्य संबंधों की प्रकृति पर संक्षेप में विचार कीजिए। उत्तर 50 शब्दों में दीजिए।

....
....
....
....
....

2. तैमूर साम्राज्य में कुलीन वर्ग की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। अपना उत्तर 60 शब्दों में लिखिए।

....
....
....
....
....

12.4 राज्य संबंधी मुगल सिद्धांत: विकास

इस भाग में हम बाबर और हुमायूं के अधीन संप्रभुता की मुगल अवधारणा के विकास पर प्रकाश डालेंगे और यह भी बताएंगे कि किस प्रकार अकबर के शासन काल में यह अपने उत्कर्ष पर पहुंचा।

12.4.1 बाबर और हुमायूं

कुछ इतिहासकारों का मानना है कि तैमूर राज्य व्यवस्था तुर्क-मंगोल राज्य व्यवस्था से प्रभावित थी और यह अपनी प्रवृति में निरंकुश था और अनिवार्य रूप से केन्द्रीभूत राजकीय ढांचे की ओर उन्मुख था। वे इसे अफगान शक्ति के ढांचे से श्रेष्ठ मानते हैं, जिसने सल्तनत को कबीलों के ऐसे संघ के रूप में परिणत कर दिया, जिनका अलग-अलग क्षेत्रों पर अधिकार था। परन्तु अन्य विद्वानों का मानना है कि केवल आरंभ में मंगोल प्रभाव अधिक था, बाद में मंगोल राज्य व्यवस्था की केन्द्रीकृत और निरंकुश सत्ता की प्रवृति लुप्त होने लगी।

आइए, अब हम मुगल राज्य व्यवस्था पर विचार करें। हमने विस्तार से (12.3 भाग) तैमूर और मंगोल राज्य व्यवस्था की विशेषताओं की जानकारी प्राप्त की और यह पाया कि तैमूर राज्य व्यवस्था तुर्की और मंगोल दोनों ढाचों से प्रभावित थी। अब हम यह देखते हैं कि बाबर भारत में कौन सी विरासत लेकर आया।

मुगल राज्य व्यवस्था की निरंकुश प्रकृति पर विचार करते हुए यह कहा जाता है कि बाबर तक तैमूरी शासकों ने परिस्थितियों के दबाव के बावजूद **खाकान** की पदवी ग्रहण करना उचित नहीं समझा। इससे पता चलता है कि वे **खान** को विशेष दर्जा देते थे। परन्तु यह एक जटिल समस्या का अतिसरलीकरण प्रतीत होता है। जैसा कि पहले बताया जा चुका है राजत्व संबंधी मंगोल सिद्धांत में शासक द्वारा अपने पुत्रों के बीच साम्राज्य का बंटवारा करना प्रधान मुद्दा था। परन्तु बाबर ने कभी इस अवधारणा को स्वीकार नहीं किया। हुसैन मुर्तजा की मृत्यु के बाद जब उसके दो बेटों के बीच साम्राज्य का बंटवारा हुआ तो उसने आश्चर्य व्यक्त किया। इसी प्रकार उसने अपने **बेगों** (कुलीनों) के साथ सत्ता की भागीदारी के विचार को नकार दिया। परन्तु ऐसा लगता है कि आरंभिक चरणों में मुगल मंगोल प्रभाव से पूरी तरह मुक्त नहीं हो पाये थे। बाबर की मृत्यु के तुरंत बाद मंगोलों के साम्राज्य विभाजन के सिद्धांत के कार्यान्वयन का प्रयास किया गया। हुमायूं द्वारा अपने

साम्राज्य को अपने भाइयों के बीच बांटने का प्रयास असफल रहा। 1556 ई. में उश्तरग्राम के युद्ध में अकबर और कामरान (हुमायूं का भाई) की बेटी को संयुक्त रूप से सिंहासन पर बैठाया गया था परन्तु यह एक अल्प जीवी आपातकालीन प्रयास मात्र था। इसके अतिरिक्त स्वयं बाबर ने "पादशाह" की पदवी (जो एक तुर्की पदवी थी) ग्रहण की। हुमायूं की जान एक भिश्ती ने बचाई और हुमायूं ने उसे एक दिन के लिए अपनी संप्रभुता देने का निर्णय लिया। इससे पता चलता है कि मुगल संप्रभुता को "पादशाह" की निजी संपत्ति समझते थे। यहां तक कि कुलीनों के तथाकथित वंशानुगत विशेषाधिकारों को भी शासक की अनुशंसा प्राप्त करनी होती थी। नया शासक इन विशेषाधिकारों को नये सिरे से अनुशंसित करता था। अतः यह कहना बहुत सही नहीं है कि अधिकांश कुलीन समुदाय को प्राप्त विशेषाधिकारों के कारण आरंभिक तुर्क-मंगोल राज्य व्यवस्था में निरंकुशता के विकास को धक्का पहुंचा। बाद में बाबर और हुमायूं दोनों ने चगताई कानून की संहिता **(तुरा)** का सम्मान किया जहां एक साथ दो शासकों की अवधारणा के लिए कोई जगह नहीं थी।

12.4.2 अकबर

अबुल फजल के अनुसार, "ईश्वर की नजरों में राजत्व से बढ़कर गौरवपूर्ण दूसरी कोई चीज नहीं है। विद्रोही चेतना का उपचार राजत्व में निहित है····"यहां तक कि 'पादशाह' शब्द का अर्थ भी इसके अनुकूल है। **पाद** का अर्थ स्थायित्व और आधिपत्य तथा **शाह** का मतलब मूल और सर्वशक्तिमान है। इस प्रकार एक शासक "स्थायित्व और आधिपत्य का मूल" है। वह आगे कहता है कि "राजत्व ईश्वर से निकलता प्रकाश है, सूर्य से निकली किरण है—आधुनिक भाषा में इस प्रकाश को **फर्र-ए इजदी** (आध्यात्मिक प्रकाश) कहते हैं और पुरानी भाषा में इसे **कियां ख्वारा** (उदात्त प्रभामंडल) कहते हैं। बिना किसी मध्यस्थता के ईश्वर राजा तक यह संदेश पहुंचाता है··· पुनः इस आलोक की प्राप्ति के बाद कई उदात्त गुणों की प्राप्ति होती है, जैसे अपनी प्रजा के प्रति पितृत्व भाव, विशाल हृदय, ईश्वर, प्रार्थना और भक्ति में आस्था।" एक अन्य स्थान पर अबुल फजल कहता है "राजत्व का सूर्य (**शमसा**) एक ईश्वरीय प्रकाश है, जो राजा को सीधे ईश्वर से प्राप्त होता है, इसमें किसी व्यक्ति का हस्तक्षेप नहीं होता····" अतः राजा ईश्वर द्वारा नियुक्त माना जाता था, जिसे ईश्वर से ही निर्देश प्राप्त होते थे और जिसकी रक्षा भी ईश्वर करता था।

अकबर के दायित्व पर अबुल फजल ने प्रभुसत्ता के जिस सिद्धांत को **महजर** और "**आइने रहनमूनी**" में अभिव्यक्त किया है वह मध्य एशियाई और ईरानी-इस्लामी अवधारणाओं के साथ-साथ संप्रभुत्ता की चंगेज परंपरा के भी नजदीक था। यह महत्वपूर्ण बात है कि संप्रभुता की निरंकुश परंपराओं और आध्यात्मिक और सांसारिक शासकत्व के मिले जुले रूप का उपयोग कई दरबारों में प्रतिरक्षा के रूप में किया गया ताकि कुछ स्वार्थी और महत्वाकांक्षी लोग राज्य की शक्ति पर अधिकार न जमा बैठें। **फर्र-ए इजदी, कियां ख्वारा** आदि दर्शन, विचार और अवधारणाएं इसी कोटि में आती हैं, जिनका एक मात्र उद्देश्य प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष ढंग से राजा की सत्ता को सुरक्षित रखना था। अलाउद्दीन खलजी ने "कार्य साधकता के कानून" का पालन करने की कोशिश की, अकबर उससे भी एक कदम आगे बढ़ गया। **महजर** (इसे शेखमुबारक और उसके दो पुत्रों ने तैयार किया था) के अनुसार सम्राट को न्यायी शासक **(इमाम आदिल)** घोषित किया गया और इसी क्रम में उसे **मुज़तहिद** अर्थात् "अपरिहार्य सत्ता" का ओहदा प्रदान किया गया, हालांकि **मुज़तहिद** के ओहदे को **इमाम आदिल** से उत्कृष्ट माना गया। अतः "न्यायी शासक की बुद्धिमता" विधान का प्रमुख स्रोत बन गयी।

एक स्थान पर अबुल फजल कहता है "जब चिंतन का समय आता है और लोग अपनी शिक्षा के पूर्वाग्रहों को भूल जाते हैं, उस समय धार्मिक मतांधता का पूरा जाल टूट जाता है और आंखें सौहार्दता की कीर्ति का दर्शन करतीं हैं—हालांकि कुछ लोग इससे उद्बद्ध होते हैं, परन्तु अधिकांश खून के प्यासे धर्मांधों के डर से चुप रहते हैं, स्वभावतः लोग अपने राजा की ओर देखते हैं···· और उससे उनका आध्यात्मिक नेता होने की भी आशा करते हैं क्योंकि राजा आम आदमी से अलग होता है, उसमें दैविक बुद्धिमता की किरण होती है, जो उसके हृदय से सभी प्रकार के अंतर्विरोध को दूर हटा देती है। इस प्रकार राजा कभी-कभी विभिन्न वस्तुओं के बीच सौहार्द के तत्व भी खोज लेगा···· वर्तमान युग के शासक की यही स्थिति है वह अब राष्ट्र का आध्यात्मिक दिग्दर्शक भी है।"

बोध प्रश्न 3

1. बाबर और हुमायूं ने किस सीमा तक तुर्क-मंगोल परंपराओं का पालन किया?

....

....

....

....

....

2. अबुल फजल द्वारा प्रतिपादित संप्रभुता के **सिद्धांत पर टिप्पणी कीजिए।** अपना उत्तर 60 शब्दों में दीजिए।

....

....

....

....

....

12.5 सारांश

आरंभ में मुगलों के संप्रभुता संबंधी दृष्टिकोण पर मध्य एशिया में विकसित तुर्क-मंगोल परंपराओं खासकर चंगेज खां की **तुरा** का प्रभाव था। महत्वपूर्ण प्रश्न राजा की स्थिति और **हैसियत को लेकर था। क्या वह निरंकुश प्रभुसत्ता का आकांक्षी था? क्या वह दूसरों के साथ अपनी** शक्ति और सत्ता का बंटवारा करने को तैयार था? इन दोनों प्रश्नों का जवाब संप्रभुता की भागीदारी और सत्ता में हिस्सेदारी के अंतर में निहित है। अब तक के अध्ययन से हम जान चुके हैं कि इस राज्य व्यवस्था में सत्ता और शक्ति पर दूसरों की हिस्सेदारी संभव थी, परन्तु हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इस सत्ता और शक्ति की मंजूरी वस्तुतः राजा के हाथ में थी (उदाहरण स्वरूप, राजकुमारों को विभिन्न प्रांतों का शासक या सुल्तान नियुक्त किया जाना)। इस प्रथा को "संप्रभुता की भागेदारी" से जोड़कर नहीं देखा जा सकता। वह इससे बिल्कुल भिन्न चीज थी। छुटपुट और क्षणिक घटनाओं से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अतः तुर्क-मंगोल और मुगल शासकों द्वारा निरंकुश राजतंत्र के आधारभूत सिद्धांत से समझौता करने का सवाल ही नहीं उठता था, इस सिद्धांत में समवर्ती संप्रभुता के लिए कोई स्थान नहीं था।

इसके अतिरिक्त प्राचीनकाल से ही संप्रभुता की अवधारणा में दैवीय तत्व का समावेश होता रहा है। इस्लामी सांस्कृतिक क्षेत्र में इसके लिए **जिल-उल अल्लाह फिल अर्ज** (पृथ्वी पर ईश्वर की छाया) विचार का उपयोग होता था, जिसे बाबर ने भी अपनाया। परन्तु अकबर ने और आगे ईश्वरीय प्रकाश की विचारधारा का उपयोग शुरू कर दिया। इससे काफी अंतर पैदा हो गया: "ईश्वर की छाया" स्वभावतः "ईश्वर की रोशनी" से कम प्रभावशाली थी। बाद वाली अवधारणा ने राजा को सीधे ईश्वर से जोड़ दिया, अब वह ईश्वर का एक अंश मात्र नहीं रह गया। अतः संप्रभुता के संबंध में अकबर का दृष्टिकोण मुसलमान मानस की पराकाष्ठा थी। यह एक मुसलमान शासक के लिए सीमा थी: इससे आगे बढ़ना मुसलमानों में ईश्वर की धारणा के खिलाफ जाने का दुस्साहस था। निश्चित रूप से, कोई व्यक्ति अपने को ईश्वर घोषित नहीं कर सकता था।

12.6 शब्दावली

आईन : शाब्दिक अर्थ नियम। अबुल फजल ने अपनी पुस्तक **आइने अकबरी** में अकबर के साम्राज्य के नियमों को प्रस्तुत किया है। इसमें राजकीय घरेलू जीवन, **मनसबदार**, राजकीय सेना, भोज्य

आईन-ए रहनमुनी : **आईन-ए अकबरी** का एक अध्याय (नं. 77) जिसमें अबुल फजल ने अकबर के राजत्व संबंधी सिद्धांतों का विश्लेषण किया है।

खुतबा : शुक्रवार को मस्जिदों में पढ़ा जाने वाला संदेश जिसमें राजा का नाम शामिल किया जाता था।

महज़र : शाब्दिक अर्थ एक आदेश। अकबर ने **महज़र** का प्रसिद्ध आदेश 180 ई. में जारी किया। इसे शेख मुबारक ने तैयार किया था। इसके द्वारा सम्राट की **मुज़तहिदों** (धार्मिक कानून के व्याख्याता) पर सर्वोच्चता स्थापित हो गई।

साहिब-ए किरान : शाब्दिक अर्थ भाग्यशाली और अजेय योद्धा। तैमूर को दी गयी एक उपाधि। यह उपाधि उस शासक को दी जाती थी, जिसने 40 वर्षों तक शासन किया हो।

स्टेप्स : चीन के उत्तर और बैकल झील के पूर्व का क्षेत्र। मंगोल मूलत: इसी क्षेत्र के निवासी थे।

उइघलूर : एक मध्य एशियाई कबीला।

12.7 बोध प्रश्नों के उत्तर

बोध प्रश्न 1

(i) × (ii) √ (iii) √ (iv) ×

2) 12.3.1 उपभाग पढ़िए। **तुरा** की परिभाषा देकर इसके महत्व को समझाइए। साथ ही साथ इसके प्रति मुगल शासकों का रवैया भी स्पष्ट कीजिए।
3) देखिए उपभाग 12.3.2 तुर्क और मंगोलों की संप्रभुता संबंधी अवधारणाओं को स्पष्ट कीजिए और बताइए कि इन परंपराओं/अवधारणाओं से मध्य एशियाई शासक किस हद तक प्रभावित थे।

बोध प्रश्न 2

1) देखिए उपभाग 12.3.5 इस भाग को सावधानी से पढ़िए और निरंकुश सत्ता संबंधी तुर्क और मंगोलों के विचारों का विश्लेषण कीजिए। यह भी बताइए कि किन परिस्थितियों/सीमाओं के कारण तैमूर **खान** की नाममात्र की प्रभुसत्ता स्वीकार करने को बाध्य थे।
2) देखिए उपभाग 12.3.5

बोध प्रश्न 3

1) 12.4.1 उपभाग ध्यान से पढ़िए। विश्लेषण कीजिए कि किस सीमा तक बाबर और हुमायूं तुर्कों और मंगोलों की संप्रभुता की अवधारणाओं से प्रभावित थे। इस तथ्य पर भी विचार कीजिए कि उनके कार्यों को प्रभावित करने वाली परिस्थितियां क्या थीं।
2) 12.4.2 उपभाग पढ़िए। अबुल फजल की संप्रभुता संबंधी अवधारणा पर विचार कीजिए। अकबर किस प्रकार प्रचलित नियमों को बदल सका। इससे मुगलों को **उलेमा/मुजतहिदों** से श्रेष्ठता प्राप्त करने में किस हद तक मदद मिली?